

विभाग का नाम : खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग आपूर्ति  
विभाग का पता : के-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली.

अतारांकित प्रश्न संख्या- 127

दिनांक : 30 जुलाई, 2021

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में 2014-15 में राशन कार्डों को नवीनीकरण हेतु जमा किया गया था;	जी नहीं । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुराने राशन कार्डों को नवीनीकरण हेतु जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का प्रावधान है।
ख)	यदि हाँ, तो बहुत से उपभोक्ताओं के राशन कार्ड आज भी लंबित होने या उन्हें निरस्त कर दिये जाने के क्या कारण है	लागू नहीं ।
ग)	क्या सरकार द्वारा इन राशन कार्डों की जांच कर इन्हें फिर से बनाने के संबंध में कोई योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है ; और	उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं ।
घ)	यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कार्ड बनाना एक सत्त प्रक्रिया है । लंबित आवेदनो पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है।

Secretary-Cum-Commissioner  
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate  
New Delhi- 110002